



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267397
CG-DL-E-06112025-267397

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4833]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4833]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4988(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1755 (ई) दिनांक 12 अक्टूबर 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 12 अक्टूबर 2006 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है - अर्थात्:

क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	एस.ओ. 411 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2002	क) स्तंभ 3 में क्रम संख्या (5) के समक्ष, "विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अधिग्रहण), राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुचिरापल्ली" प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुदुक्कोट्टई" प्रविष्टि रखी जाएगी।

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना एस.ओ. 411 (ई) दिनांक 11 अप्रैल, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 11 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. NHAI/11015/49/2001/LA/Trichy/1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4988(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in each of the Notifications of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 1755 (E) dated 12th October 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated 12th October 2006 - namely:

Serial Number (1)	Notification number and date (2)	Amendment (3)
1	S.O. 411 (E), dated the 11th April, 2002	a) Against Serial number (5) in Column 3, for the entry “Special District Revenue Officer (Land Acquisition), National Highways, Tiruchirappalli,” shall be substituted as “Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Pudukkottai.”

Foot Note: The Principal notification was published vide S.O. 411 (E) dated 11th April, 2002, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated 11th April, 2002.

[F. No. NHAI/11015/49/2001/LA/Trichy/1]

SHAIKH AMINKHAN, Director